

17/12/18

यदि एक व्यक्ति को ने उकीरियट होकर
 एक प्रार्थना पत्र पत्रावली तलाश करने हेतु
 फेर किये जाते हैं फतावली तलाश की गई।
 यदि इस व्यक्ति का उद्देश्य हीन के प्रथम
 पदमी रानी साया हो चुका है अतः अपना उम्ह
 वाद न्यायालय नहीं वाद है तथा वाद
 विद्वां का खारिज कालाता चादत है।
 अतः यदि इस वाद विद्वां कखाप जलिया
 वाद विद्वां खारिज किया जाता है फतावली
 फतावत शुमार है। दर्ज नाम से कया है।

श्री लक्ष्मी
 Identified by
 Lexum
 Advocate

सत्यमेव जयते —hi—
 सहायक कलक्टर
 साँभर लोक

Web Copy - Not Official